

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 607 सन 2019

अनवान :-

1. कमेरसिह पुत्र मदनसिह जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मदनसिह पुत्र उदमीराम जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. किस्मत कंवर पुत्री मदनलाल जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर।
3. राजकंवर पत्नी मदनसिह जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर।
4. रितु पत्नी कमेरसिह जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 78/19 के खसरा न० 470/170 की 6.0710 हैक एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 135/22 के खसरा न० 815/283 की कुल 3.1250 हैक, रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136/176 के खसरा न० 131/1 की 3.1880, 772/1 की 4.2880 हैक कुल 7.4760 हैक व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 217/21 के खसरा न० 661/2 की 5.0600, रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 218/311 के खसरा न० 542/1 की 3.0610 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उदयसिह पुत्र मदनसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उदयसिह पुत्र मदनसिह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदयसिह पुत्र मदनसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता उदयसिह पुत्र मदनसिह के देहान्त होने पर

विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो वादी माता /पत्नि है ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 78/19 के खसरा न0 470/170 की 6.0710हैक एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 135/22 के खसरा न0 815/283 की कुल 3.1250हैक , रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136/176 के खसरा न0 131/1 की 3.1880 ,772/1 की 4.2880हैक कुल 7.4760हैक व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 217/21 के खसरा न0 661/2 की 5.0600 ,रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 218/311 के खसरा न0 542/1 की 3.0610हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उदयसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उदयसिंह पुत्र मदनसिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदयसिंह पुत्र मदनसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 78/19 के खसरा न0 470/170 की 6.0710हैक एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 135/22 के खसरा न0 815/283 की कुल 3.1250हैक , रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136/176 के खसरा न0 131/1 की 3.1880 ,772/1 की 4.2880हैक कुल 7.4760हैक व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 217/21 के खसरा न0 661/2 की 5.0600 ,रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 218/311 के खसरा न0 542/1 की 3.0610हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

नामान्तकरण विरास्तन रोही मौजा मिनकदेसर/खुईया के अनुसार वाद भूमि उदयसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा उदयसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदयसिंह पुत्र मदनसिंह के देहान्त होने के

वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के हकदार है। वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजसेज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 78/19 की कुल 6.0710 हैक एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 135/22 की कुल 3.1250 हैक, रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 136/176 की कुल 7.4760 हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 217/21 की कुल 5.0600, रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 218/311 की कुल 3.0610 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों को बहिब का खातेदार काश्तकार धारित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक _____ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



(राजस्व)
उपवाक्य अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कमेरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत साकिन खूर्ईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र उदमीराम जाति राजपूत साकिन खूर्ईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. किस्मत कंवर पुत्री मदनलाल जाति राजपूत साकिन खूर्ईया तहसील नोहर।
3. राजकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत साकिन खूर्ईया तहसील नोहर।
4. रितु पत्नी कमेरसिंह जाति राजपूत साकिन खूर्ईया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 607 सन 2019 निर्णय दिनांक- 16/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोंवर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 78/19 की कुल 6.0710 हैक् एवं रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 135/22 की कुल 3.1250 हैक्, रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 136/176 की कुल 7.4760 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 217/21 की कुल 5.0600, रोही मौजा खूर्ईया के खाता संख्या 218/311 की कुल 3.0610 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ब्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)